उपरोक्त | वर्णित वादी, गैरहाजिर। वर्णित वादी व वादी का अवाज सिलाई गई। बार बार अवाज दिलाने के बावजूद न्यायालय समय तक हाजिर नहीं होने के बाद वादी अवाज कोई अवाज हाजिर खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निस्तारण पत्रावली मुक्त हो।

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़